(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 49/2023

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री गिरधर गोपाल 53वर्ष पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी कोटा शिवपुरी रोड, भंवरगढ, तहसील किशनगंज जिला बारां (विक्रेता एवं मालिक) मै. वैष्णवी किराना स्टोर, तात्या टोपे चौराहा, भंवरगढ जिला बारां
2. मैसर्स वैष्णवी किराना स्टोर, तात्या टोपे चौराहा, भंवरगढ जिला बारां
3. श्री महेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री बृजमोहन गोयल निवासी गुरुजी का चौक, बारां (मालिक) मैसर्स बृजमोहन सुखदेव किराना स्टोर, सदर बाजार, बारां
4. मैसर्स बृजमोहन सुखदेव किराना स्टोर, सदर बाजार, बारां
5. श्री संदीप जैन पुत्र श्री उत्तम जैन निवासी ए– 278, रिद्धि सिद्धि नगर, कुन्हाड़ी कोटा, गिरधरपुरा थर्मल कॉलोनी, कोटा(मालिक) मैसर्स संदीप ट्रैडिंग कंपनी, अरिहन्त बाजार, पुरानी धानमण्डी कोटा राज. 324006
6. मैसर्स संदीप ट्रैडिंग कंपनी, अरिहन्त बाजार, पुरानी धानमण्डी कोटा राज. 324006
7. श्री राजूभाई राठौर निवासी जूनो तलोदरा रोड, कात्या काडी विस्तार, शील जूनागढ गुजरात 362240 वर्तमान निवास सर्वे नं. 54/2, 54/2ए एण्ड 54/2बी फायर स्टेशन के पीछे, रिंगनवाडा गांव दाबेल दमन रुरल दमन एंड दीव 396210 (नोमिनी) मैसर्स एसडीपी इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि0 सर्वे नं. 54/2, 54/2ए एण्ड 54/2बी फायर स्टेशन के पीछे, रिंगनवाडा गांव दाबेल दमन रुरल दमन एंड दीव 396210
8. मैसर्स एसडीपी इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि0 सर्वे नं. 54/2, 54/2ए एण्ड 54/2बी फायर स्टेशन के पीछे, रिंगनवाडा गांव दाबेल दमन रुरल दमन एंड दीव 396210

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 51/58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 व 2)

3– श्री दिनेश कुमार शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 3 ता 8)

निर्णय दिनांक 07.02.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2023 को मैसर्स वैष्णवी किराना स्टोर, तात्या टोपे चौराहा, भंवरगढ जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री गिरधर गोपाल मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश महाजन (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित [illegible] हूं और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य [illegible] अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक [illegible] आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:04 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया ज[illegible] पर खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) मूल गत्ते पैक 500–500 एमएल** के एक रैक में 04 लीटर आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) मूल गत्ते पैक 500 एमएल** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) मूल गत्ते पैक** 500–500 एमएल के चार मूल गत्ते पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री गिरधर गोपाल मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश महाजन (विक्रेता एवं मालिक) को 1160/– रूपये (अक्षरे ग्यारह सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) मूल गत्ते पैक** 500–500 एमएल के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1694 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1694 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री गिरधर गोपाल मित्तल पुत्र श्री ओमप्रकाश महाजन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/107 दिनांक 13.03.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 181/PHL/kota/Act/2023/181 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) मूल गत्ते पैक 500 एमएल** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (SubStandard)** एवं 2.3.7(2) के तहत नियम का उल्लंघन (**Contravention to the Regulation**) होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी[illegible] द्वारा जिस [illegible] घी **(श्री सरस) मूल गत्ते पैक 500 एमएल** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह [illegible] वि[illegible]षक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा [illegible]x) के तहत **अवमानक(Sub Standard)** एवं 2.3.7(2) के तहत नियम का उल्लंघन (**Contravention to th[illegible] Regulation**) होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि[illegible] 2006 [illegible] की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एव[illegible]नक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 व 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:04 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी क्रम 01 व 02 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि मेरे द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) मूल गत्ते पैक** अप्रार्थी क्रम 03 व 04 से जरिये बिल क्रय किया गया है। उक्त बिल की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। प्रकरण लेबोरेट्री की रिपोर्ट के अनुसार **अवमानक (Sub Standard)** का है जिसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं है, जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की है।

अप्रार्थी क्रम 03 ता 08 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में जांच पैरामीटर क्र.सं. 7 के तहत फॉरेन फैट पैरामीटर अंकित की हुई है जो कि **The Gazette of India : Extraordinary Part III- Sec. 4** के तहत अभी तक खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मापदण्ड में निर्धारित पैरामीटर में शामिल नहीं है। जब तक किसी जांच नियम का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तब तक खाद्य विश्लेषक द्वारा की गई जांच मान्य नहीं हो सकती एवं संबंधित प्रकरण में उक्त जांच में फॉरेन फैट किस प्रकृति का है, इसका उल्लेख नहीं किया हुआ है एवं इस टेस्ट के लिए जिस विधि को काम में लिया गया था वह अधिनियम में लागू नहीं है तथा रिपोर्ट अधिनियमानुसार प्रपत्र प्रारूप में नहीं है। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 03 ता 06 के द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का क्रय निर्माता फर्म द्वारा बिल वारंटी के तहत किया गया था तथा निर्माता फर्म द्वारा बेचे गये माल को सील अवस्था में हीं रखा व बेचा गया था तथा नमूना भी सील्ड पैकेट का हीं लिया गया था जिसमें समस्त जिम्मेदारी फर्म की होती है। निर्माता फर्म उक्त खाद्य पदार्थ को नियमानुसार पैक करके माल का विक्रय कार्य करती है तथा माल निर्माण के समय अधिनियम की सभी शर्तो व मानकों को पूरा करके शुद्ध स्तर का माल बेचती है जिससे निर्माता फर्म दोषी नहीं हो सकती है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण के खिलाफ आवेदन पत्र निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा कहा गया कि जांच रिपोर्ट में जांच पैरामीटर क्र.सं. 7 के तहत फॉरेन फैट अंकित है। पैरामीटर में अंकित फॉरेन फैट के अंतर्गत फैटी एसिड के अलावा अन्य फैट भी शामिल है जैसे– चर्बी, तेल एवं अन्य। इस प्रकार से अप्रार्थीगण के अभिभाषक के कथन इस प्रकरण पर साबित नहीं होते है। प्रकरण में अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 181/PHL/kota/Act/2023/181 दिनांक 01.03.2023 से असंतुष्ट थे तो उन्हें अन्य लेबोरेट्री में जांच करवाने हेतु जरिये पत्र सूचित किया गया था किंतु उनके द्वारा अन्य लेबोरेट्री में जांच करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **घी (श्री सरस) मूल गत्ते पैक 500 एमएल** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 181/PHL/kota/Act/2023/181 दि. 01.03.2023 से **अवमानक (Sub Standard)** एवं 2.3.7(2) के तहत नियम का उल्लंघन **(Contravention to the Regulation)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 एवं 58 के तहत अप्रार्थी क्रम 07 व 08 को कुल जुर्माना राशि 1,95,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख पिच्यानवे हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 07 व 08 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **07.02.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:04 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)